(92)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1164 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 916/अपील/2012-13.

---

1. चेतराम आ. स्व. जगन्नाथ शर्मा
2. कमलाबाई बेवा जगन्नाथ शर्मा

दोनों निवासी-ग्राम चैनपुर, तहसील वाडी,
जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

बृजेश कुमार आ. प्रेमनारायण
निवासी-ग्राम चैनपुर, तहसील वाडी,
जिला रायसेन, म.प्र. .....अनावेदक

श्री ओ.पी. दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 30.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम चैनपुर, तहसील वाडी में एक खाता भूमि सर्वे क्र. 53/2/1/1 रकबा 2.80, सर्वे क्र. 53/2/1/2 रकबा 2.66 व सर्वे क्र. 53/2/2/1 रकबा 0.14 एकड़ कुल 3 किता रकबा 5.60 एकड़ आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य में वर्ष 2000-01 में दर्ज था। दोनों आवेदकगण मां/बेटा हैं। यह आवेदकगण की

खानदानी पैत्रिक भूमि है, जो आवेदकगण को उनके पिता/पति से उनके जीवनकाल में ही हिस्से बंटवारा में प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 2.80 एकड़ का है। अनावेदक द्वारा आवेदकगण की सम्पूर्ण भूमि 5.60 एकड़ ग्राम, चैनपुर, तहसील वाडी की नामांतरण पंजी में प्रविष्टि क्र. 23 प्रमाणीकरण दिनांक 28.06.2001 द्वारा बंटवारा कराकर पूरी भूमि अपने नाम करा ली गई, जिसकी प्रथम बार जानकारी दिनांक 07.08.2012 को होने पर आवेदकगण द्वारा नकल दिनांक 14.08.2012 को लेकर जानकारी दिनांक से समयावधि में अनुविभागीय अधिकारी, बरेली, जिला रायसेन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो समयावधि बाह्य मानकर आदेश दिनांक 02.07.2013 से निरस्त कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.11.2017 को आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) विचारण न्यायालय ने आवेदकगण को बगैर सूचना दिये पंचायत प्रस्ताव का हवाला देकर बगैर हक-त्याग विलेख या बंटवारानामा के बिना आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) पंजी क्र. 23, ग्राम चैनपुर, प्रमाणीकरण दिनांक 28.06.2001 नियम प्रक्रिया एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) विधि अनुसार नामांतरण पंजी पर बंटवारा एवं नामांतरण एक साथ नहीं किया जा सकता है। बंटवारा संहिता की धारा 178 में दिये गये प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार प्रकरण दर्ज करके ही किया जा सकता है। पंजी पर किया गया बंटवारा विधिसंगत नहीं है, ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) बंटवारा सह-खातेदारों के मध्य होता है एवं बगैर सूचना एवं जानकारी के अभाव में पारित किए गये आदेश में समय-सीमा जानकारी दिनांक से ही लागू होती है, जिसे अनदेखा कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानीमें नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया पंजी पर भूमि का अंतरण कथित बंटवारानामा/पंचायत प्रमाण के आधार पर किया गया है। उक्त आधारों पर नामांतरण की कार्यवाही पंजी पर नहीं की जा सकती थी, इसके लिए प्रकरण दर्ज कर साक्ष्य लेकर बंटवारानामा की पुष्टि आदि करवाना आवश्यक था, तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त ने आवेदक को इस अवसर से वंचित किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र समयसीमा पर समयबाह्य मानकर आदेश पारित किया, जिससे आवेदकगण के हित प्रभावित होते हैं। ऐसे प्रकरणों में समयसीमा के स्थान पर गुण-दोष पर परीक्षण आवश्यक होता है, किंतु ऐसा न कर अपील निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी ने त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश वैधानिक एवं उचित न होने से निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण तहसील न्यायालय की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह साक्ष्य एवं प्रमाण लेकर बंटवारानामा की पुष्टि आदि कर पुन: आदेश पारित करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में पुन: आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर